

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ए-530/94) /अलेसे-11/717-20 दिनांक :- 30-8-22

आदेश

श्री अब्दूल रज्जाक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय कोषाधिकारी, पाली द्वारा वाहन भत्ता स्वीकृति के लिए कोषाधिकारी, पाली में आवेदन किया है, जिसे कोषाधिकारी, पाली ने उनके पत्र क्रमांक 577 दिनांक 05.08.2022 (निदेशालय में प्राप्ति तिथि 16.08.2022) से निदेशालय में प्रेषित किया है। श्री रज्जाक ने आरसीएचओ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र क्रमांक एसएपी/2022/1374233 दिनांक 02.08.2022 की प्रति प्रेषित की है, जो कोषाधिकारी, पाली से प्रमाणित है। उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार श्री रज्जाक की विकलांगता 45 प्रतिशत है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10(4)एफडी(गुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 एवं समय-समय पर संशोधित आदेशानुसार कम से कम 40 प्रतिशत स्थायी आंशिक विकलांगता पर वाहन भत्ता स्वीकृति योग्य है। अतः वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(6)एफडी/नियम/2010 दिनांक 30.05.2022 के क्रम में श्री रज्जाक को दिनांक 16.08.2022 से मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम 1200/- रुपये प्रतिमाह) वाहन भत्ता एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश मथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ए-530/94) /अलेसे-11/717-20 दिनांक :- 30-8-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, पाली।
2. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्री अब्दूल रज्जाक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय कोषाधिकारी, पाली।
4. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)